PUNE RESEARCH SCHOLAR ISSN 2455-314X
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY JOURNAL VOL 6, ISSUE I

गुजरात में बाल अपराध में पारिवारिक - पर्यावरण की भूमिका और उनके उपाय

डॉ. छाया आर. सूचक
विजयनगर आर्टस् कॉलेज,
विजयनगर (सांबारकांठा)
(गुजरात) भारत

परिवार एक मौलिक सामाजिक संस्ता है । बालक के व्यक्तित्व विकास की नींव परिवार में ही पड़ती है । इसी कारण टप्पन (१९४९ : २३४) महोदय ने परिवार को 'व्यक्तित्व का पालना' कहा है । बालक के प्रारम्भिक वर्षो में, परिवार में तथा परिवार द्वाराविचार एवं अनुभव के मौलिक प्रतिमान स्थापित होते है । टप्पन के अनुसार पिरावर ही बालक को व्यवहार-दुर्व्यवहार का प्रशिक्षण देने का प्रथम महत्वपूर्ण विद्यालय है । परिवार ही बालक के चरित्र-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । मैकडोनफॉल (१९४०) ने इस बात पर जोर डालते हुए कहा कि - 'परिवार का व्यक्तिगत सम्पर्क बालक के चरित्र-निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ।' परिवार ही बालक के समाजीकरण की मौलिक संस्था भी है । बालक यही पर कुछ नैतिक आदर्शो को सीखता है जो उसे अच्छे-बुरे का ज्ञान कराते है । ये सामाजीकरण की प्रक्रिया क्रमशः चलती रहती है और बालक के व्यवहार-प्रतिमान का निर्धारण करती है (थिलगाराज : १९८३ : २६) ।

परिवार एक कार्यात्मक ईकाई भी है । परिवार के कार्यो में हम परिवार की देखभाल, समाजीकरण, व्यक्तित्व विकास, मूल-आवश्यकातओं को पूर्ति स्नेह-पूर्ति आदि अनेक तत्वों को सम्मिलित करते हैं । परिवार ही सदस्यों की स्थिति का निर्धारण तथा भूमिका-स्थापना करता है एवं अपने सदस्यों को अपने जीवन के मूल्य तथा महत्व की पहचान कराता है । जिन परिवारों में किसी कारणवश इन कार्योंको ठीक तरह से नहीं निभाया जाता तो बालक में नैराश्य पैदा हो जाता है क्योंकि परिवार को ही बालक की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना होता है । जब परिवार को ही बालक की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य साधनों द्वारा करते है तथा अनुचित व्यवहार के लिये दोषी होते हैं । यही कारण है कि

जब परिवार अपने कार्यों को ठीक ढंग से निभा नहीं पाता तो बालकों में कभी धृणा, कभी उदासीनता, कभी निराशा आदि मनोभावनायें पैदा हो जाती है । इन सबका संयुक्त प्रभाव यह होता है कि परिवार का सार्वगिक संयोग बिगड़ जाता है । बालकों के लिये परिवार की महत्ता न्यून होने लगती है । परिवार के आदर्श एवं मूल्य अर्थहीन होने लगते हैं । इसका स्थान जो व्यक्ति, जो आदर्श एवं मूल्य ले लेते हैं, वही उसके लिये उचित व्यवहार प्रतिमान बन जाता है, जो उसे अपराधी-व्यवहार की ओर प्रवृत्त करते हैं । अत: टैफ्ट और इग्लैण्ड महोदय ने सच ही कहा है कि 'बाल-अपराध बालकों को समस्त सुक-सुविधाओं से वंचित रखने में एक प्रतीक के समान है ।' इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्यात्मक रूप से अपर्याप्त परिवार सार्वंगिक रूप से अस्वस्त परिवार होते हैं (अमाती, १९७५ : ३५) । हीले और ब्रोनर, बर्ट, ग्लूक द्वारा किये गये अध्ययनों से भी इस प्रकार के परिवारों का बाल-अपराध में बहुत महत्व मिलता है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर परिवार से सम्बन्धित पांच प्रक्रियाओं का उल्लेख किया जा सकता है जो अपराधी व्यवहार को प्रोत्साहित करती है :

(१) माता-पिता तथा अन्य लोगों के अपराधी तथा अनैतिक व्यवहार प्रतिमानों, सिद्धान्तों तथा मनोवृत्तियों को देखकर व सुनकर उन्हें बालक अपने व्यक्तित्व का एक अंग बना लेता है । इस प्रकार वह स्वयं भी अपराधी बन जाता है । वह अपराधी इसलिये बनता है क्योंकि उसने अपराधी व्यवहारों को घर पर ही सीखा है ।

(२) माता-पिता यह निश्चित करते है कि परिवार के सदस्यों को किस क्षेत्र में रहना है यदि परिवार अपराधी क्षेत्र में है तो उस परिवार के सदस्यों के अपराधी बनने की सम्भावना अधिक होती है ।

(३) प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों के लिए सामाजिक सम्बन्धों के दायरे निश्चित करता है । यदि परिवार का ऐसे लोगों से सामाजिक सम्बन्ध है, जो भ्रष्ट, अपराधी तथा शराबी हैं तो उस परिवार के सदस्यों के लिये अपराधी बनने की सम्भावना अधिक हो जाती है ।

(४) यदि परिवार में अशान्तिपूर्ण वातावरण है, तो पारिवारिक सदस्य घर को नरक समझने लगते हैं तथा उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते है । इसका परिणाम बुरे कार्यों में अपना अधिक समय बिताना है जो अपराध का पथ प्रशस्त करता है ।

(५) यह भी कहा जा सकता है कि यदि पारिवारिक सदस्यों में आदान-प्रदान की प्रक्रिया इतनी दोषपूर्ण है कि उससे व्यक्ति को यह प्रशिक्षण न मिल पाये कि जीवन की विभिन्न परिस्थितितों तथा कठिनाइयों से सफलतापूर्वक किस प्रकार सामना व

अनुकूलन किया जा सकता है, तो उस स्थिति में भी व्यक्ति के बिगड जाने की सम्भावना अधिक होती है (सदरलैणअड, १९६५ : ८३-८४) ।

पारिवारिक संरचना :

इस प्रकार बाल-अपराधियों के पारिवारिक पर्यावरण के अध्ययन के सन्दर्भ में सर्वप्रथम पारिवारिक संरचना का अध्ययन किया गया । अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश बालक भग्न परिवारों से आये थे ।इस सामान्य औसत परिवार में एक बालक अपने माता-पिता तथा भाई-बहनों के साथ रहता है । जब इनमें से कोई भी एक कम हो जाता है तो परिवार टूट जाता है । टूटे परिवार से हमारा तात्पर्य ऐसे परिवारों से है, जहाँ मृत्यु, परित्याग, तलाक के कारण माता या पिता परिवार में नहीं होते या माता-पिता का एक से अधिक विवाह होने के कारण उसके दो या अधिक जीवन-साथी होते हैं । पहली परिस्थिति के कारण बच्चे को स्नेह नहीं मिलता तात दूसरी के कारण उसकी उपेक्षा होती है । व्यक्तित्व के विकास के लिये चूंकि माता का प्यार तथा पिता का नियन्त्रण दोनों ही आवश्यक है, इस कारण माता-पिता में से एक का परिवार में न होना बालक के संतुलित विकास और समाज में एक समायोजित व्यक्ति होने पर प्रभाव डालता है । इस तरह गलत समायोजन ही उसे अपराधी व्यवहार की प्रेरणा देता है ।

प्राप्त तथ्यों के आधार पर पाया गया कि अधिकांश बाल-अपराधियों की पारिवारिक संरचना भग्न थी अर्थात् माता-पिता दोनो की ही मृत्यु हो चुकी थी या दोनों में से कोई एक जीवित था ।

प्राय: यह देखा जाता है कि माता-पिता की मृत्यु का विशेषकर माता की मृत्यु का, या माता से अलग रहने का प्रभाव बालक पर बहुत अधिक पड़ता है । जैसा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लू. एच. ओ.) बुलेटिन में बांउलबाय (१९५२) ने पाया कि बालक के जीवन के आरम्भिक पांच वर्षो में बालक का माता से लम्बे सय तक अलग रहने से उसमें अपरादी व्यवहार का विकास होता है । उनके अनुसार 'माता की देख-रेख के अभाव में बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास रुक जाता है जो शारीरिक और मानसिक दुर्बलता के रूप में प्रकट होता है । ग्रिगेरी (१९६५ : ४३२) ने माईनिमोट के स्कूल के ११,३२९ बालकों का अध्ययन किया और पाया कि बालकों में अपराधिता माता-पिता की मृत्यु, तलाक आदि से सम्बन्धित है । प्रस्तुत अध्ययन में जिस तरह पाया गया कि ऐसे बाल-अपराधियों की संख्या ज्यादा थी, जिनकी माता की मृत्यु हो चुकी थी जैसा कि बर्ट (१९२६ : ९२-९९) ने भी अपने अध्ययनों में पाया कि बाल-अपराधियों के माता की मृत्यु दर अधिक थी । उन्होने दो समूहों के अध्ययन में पाया कि अपराधी बालकों के समूह में १३.७% माताये नहीं थीं तथा नियंत्रित समूह में ४.०% की मातायें न थीं ।'

माता-पिता की मृत्यु के समय बाल-अपराधियों की आयु :

अध्ययन में यह भी जानने का प्रयास किया गया कि माता-पिता की मृत्यु के समय बालक कितने वर्ष के थे ।

इस सम्बन्ध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि माता-पिता की मृत्यु के समय सर्वाधिक (३७.०%) बाल-अपराधी ७-१५ वर्ष की आयु के थे । इससे स्पष्ट है कि बालक की उम्र में ही माता-पिता की मृत्यु हो जाने से बालक की उचित देख-रेख नहीं हो पाती । माता की मृत्यु से बालक को स्नेह नहीं मिलता तथा पिता की मृत्यु हो जाने से बालक पर नियन्त्रण नहीं रहता । यह दोनों ही दशाये बालक को अपराधी बनाने में सहायक होती है जैसा कि निम्नलिखित वैयक्तिक अध्ययन से स्पष्ट है ।

व्यक्ति अध्ययन :

कल्लू जिसकी उम्र १३ वर्ष है, धर्म का हिन्दू तथा जाति का कुम्हार है । कथा १ तक पढ़ा हुआ है और मध्यप्रदेश का रहने वाला है । बालक जब ८ वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गयी । माता मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी जिससे उसकी आय २७०.०० प्रतिमाह हो जाती थी । बालक के चार और भाई-बहन थे । माता का व्यवहार बालक के प्रति स्नेह का था तथा पारिवारिक अनुशासन शिथिल था । बालक का स्कूल एक स्टेशन के समीप स्थित था । बालक के ४ मित्र थे जो स्टेशन के आस-पास घूमते रहते थे तथा स्टेशन पर यात्रियों का कुछ न कुछ चोरी कर लेते थे । इसी चोरी के जुर्म में बालक पकड़ा गया । बालक आगे चलकर चोरी करना चाहता है । स्पष्ट है कि भग्न परिवार होने से बालक पर कोई नियन्त्रण नहीं रहता और वह अपराध की ओर प्रवृत्त हो जाता है ।

इस प्रकार पारिवारिक संरचना का अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि यद्यपि यह सच है कि भग्न परिवार का बाल-अपराध से घनिष्ट सम्बन्ध है, लेकिन केवल भग्न परिवार ही बालक को अपराध की ओर प्रवृत्त नहीं करते, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि संरचनात्मक द्रष्टि से तो परिवार पूर्ण होते है परन्तु संवेगात्मक द्रष्टि से टूटे होते है अर्थात् कहने का तात्पर्य है कि अभग्न परिवार से भी बालक अपराधी निकलते है जैसा कि प्रस्तुत अध्ययन में भी पाया गया कि भग्न परिवार और अभग्न परिवार से आये बाल-अपराधियों में कम अन्तर है ।

पारिवारिक अन्तवयक्तिक सम्बन्ध :

पारिवारिक संरचना के बाद पारिवारिक सदस्यों के आपसी सम्बन्ध तथा बालकों के प्रति उनके व्यवहार का अध्ययन किया गया है । माता-पिता के विचारों में एकमत्य न होने पर उनके आपसी सम्बन्ध तनावपूर्ण हो जाते हैं । कभी-कभी ऐसा होता है कि माता-पिता के जीवित होते हुए भी उनका आपसी सम्बन्ध इतना कलहपूर्ण होता है कि बालक इस कलह पूर्ण वातावरण से दूर

भागने की कोशिश करता है और अपराधी व्यवहार अपनाता है । माता-पिता दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिये हैं जो आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते । जब इन दोनों के बीच के सम्बन्ध दोषपूर्ण हो जाते हैं तो सम्पूर्ण पारिवारिक सम्बन्ध दोषपूर्ण हो जाते है । प्रस्तुत अध्ययन में पाया गया कि अधिकांश बाल-अपराधियों के माता-पिता के आपसी सम्बन्ध तनावपूर्ण तथा उदासीनता पूर्ण थे ।

बालक जब माता-पिता के बीच तनाव एवं कलह को देखता है, तो उस पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है । फलत: उसमें घर से भागने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है जैसा कि अब्राहमसन (१९६०-४३) ने पाया कि परिवार में माता-पिता के बीच तनाव होने से बालक को परिवार में सुरक्षा तथा सन्तोष नहीं मिलता । इस प्रकार का तनाव पारिवारिक एकता को दुर्बल बना देता है । मैक्काडं (१९५९ : ७९-८४) ने स्वीकार किया कि जिन परिवारों में तनाव और शत्रुता पायी जाती है, वहां बालक मानसिक शान्ति के लिये घर से भागकर सड़कों का आश्रयल`ता है । ग्लूक्स (१९५९ : २८४-५६) ने तीन अपराधी परिवारों की तुलना में पाया कि पारिवारिक तनाव के कारण माता-पिता घर से भाग गये थे । स्लोकन और स्टोन (१९५५) ने अपराधी और अनपराधी बालकों के परिवार में संघर्ष और कलह पाया । बर्ट (१९२६ : ९५) ने अपने अध्ययनों में पाया कि ६०.०% बाल-अपराधी दोषपूर्ण पारिवारिक सम्बन्धों के उत्पादक थे । इसी प्रकार भारत में बाल-रक्षा समाज, अहमदाबाद के अनुसार ६५.०% बाल-अपराधी दोषपूर्ण पारिवारिक सम्बन्धों से आये (द इण्डियन पेनल रिफार्मर, १९४०) । अत: स्पष्ट है कि माता-पिता के बीच कलह तथा तनाव का होना केवल उनके आपसी सम्बन्धों को ही प्रभावित नहीं करता अपितु सम्पूर्ण परिवार को प्रभावित करता है । माता-पिता के बीच संघर्ष होने से बालक का व्यवहार भी संघर्षपूर्ण हो जाता है जिसके फलस्वरूप वो इस संघर्षमय परिस्थिति से दूर भागकर अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है ।

माता-पिता का व्यवहार :

माता-पिता के बीच सम्बन्धों का अध्ययन करने के पश्चात्, माता-पिता का तथा भाई-बहनों का बालक के प्रति कैसा व्यवहार है ? इसका अध्ययन किया गया । नाय (१९५८ : ११८-१२४) ने अपने अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला है कि माता-पिता द्वारा बच्चों के व्यवहार तथा बच्चों द्वारा माता-पिता के व्यवहार की स्वीकृति देना या उसे अस्वीकृत करना ये दोनों ही बाल-अपराधिता से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है । माता-पिता तथा बच्चों के बीच मधुर सम्बन्धों का होना अत्यन्त ही आवश्यक है । इसके लिये आवश्यक है कि बालक और माता-पिता के विचार एक दूसरे के प्रति अच्छे हो तभी परिवार अपने कार्य कुशलतापूर्वक कर सकता है । जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ परिवार बालक के सामान्य विकास में असफल हो जाता है ।

प्राय: ऐसा पाया जाता हे कि पति-पत्नी के बीच असमायोजन होने पर वह बालकों के प्रति क्रोधपूर्ण व्यवहार करते हैं । बालक में प्रेरणा और सहंज ज्ञान की प्रवृत्ति पायी जाती है । प्रत्येक बालक परिवार में सुरक्षा तथा सवेगों की पूर्ति चाहता है जैसा कि प्लॉट महोदय ने कहा है कि परिवार बालक में 'मैं कौन हूं' इस प्रश्न का उत्तर देता है । अत: यदि परिवार बालक के इन सभी कार्यो को नही करता तो बालक अपने आपकों तिरस्कृत महसूस करता है और अपराध की ओर प्रवृत्ति हो जाता है । कभी-कभी माता-पिता अपने किसी कार्य द्वारा बालक की स्थिति को समाज में गिरा देते हैं तो भी बालक अपराधी बन जाता है जैसे यदि अवैध माता-पिता के द्वारा बालक का जन्म होता है, तो न तो उसे परिवार से, न ही समाज से ही उसे स्नेह मिल पाता है । ऐसे बालक की सभी जगह उपेक्षा की जाती है । कभी-कभी तो ऐसे बालकों को अपने माता-पिता के सानिध्य से भी वंचित रहना पड़ता है । इससे वे माता-पिता के स्नेह से वंचित रह जाते हैं तथा समाज की धृणा का भार ढोते है । फलस्वरूप उसमें सवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न हो जाता है और वह अपने विरोधियों के प्रति असामान्य व्यवहार अपनाता है ।

पारिवारिक सदस्यों का बालक के प्रति कैसा व्यवहार है इस संबंध में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पाया गया कि अधिकांस बाल-अपराधियों के प्रति उपेक्षात्मक व्यवहार अपनाया जाता है साथ ही उन्हें प्रताड़ित किया जाता है ।

भारतवर्ष में भी यदि हम बढ़ रहे बाल-अपराधियों के कारणों पर द्रषअटिपात करें तो हम पाते है कि औद्योगीकरण व नगरीकरण की प्रक्रिया के कारण आज माता-पिता दोनों रोजगार में लगे हूए है । इससे बालकों को प्यार नहीं मिलता, न ही उन पर कोई नियन्त्रण ही रहता है, न ही उचित निर्देशन ही उन्हें मिल पाता है । माता-पिता के स्नेह से वंचित ये बच्चे जब किशोरावस्था की दहलीज पर कदम रखते हैं तो उस समय ये अपने को तिरस्कृत एवं हीन महूसस करने लगते हैं और अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिये ऐसे आचरण करने लगते हैं जिन्हें समाज अपराध की संज्ञा दे देता है ।

पारिवारिक अनुशासन :

पारिवारिक सदस्यों का बाल-अपराधियों के प्रति व्यवहार का अध्ययन करने के पश्चात् माता-पिता का बालक पर अनुशासन रखने के तरीकों का अध्ययन किया गया । जैसा कि हम जानते हैं कि परिवार बालक के समाजीकरण का प्रथम अभिकरण है । जिन परिवारों में बालक को नियम पालन का प्रशिक्षणनहीं दिया जाता वहाँ बालक असमाजिक कार्यो को करने में संकोच नही करता । अनुशासन बालक पर नियंत्रण रखने की उस बागडोर के समान है जिस बागडोर से पथभ्रष्ट घोड़े को नियंत्रण में रखा जाता है । कमजोर बागडोर होने से बालक भी पथभ्रष्ट घोड़े की भांति गलत रास्ते पर चला जाता है । मातृपिता का यदि नियमित जीवन है तथा बालकों पर उचित अनुशासन

है तो वे ठीक बने रहेंगे । बालक की आयु के साथ अनुशासन पद्धति तथा व्यवहार में भी अन्तर आते रहना चाहिये । बालक जैसे-जैसे बड़ा होता जाता है उसके सामने आदर्श प्रस्तुत करने का प्रभाव अधिक पड़ता है । अत: बालक पर हमेशा उचित अनुशासन रखना चाहिये । जिस परिवार में बच्चों के नियंत्रण में बहुत कठओरता तथा बहुत मृदुता होती है ऐसे परिवारों में भी बालक अपनी सभी इच्छाओं को स्वतन्त्रतापूरव्क पूरा नहीं कर पाता जिस कारण उसमें नैराशय् पैदा हो जाता है । वह माता-पिता का विरोध करता है और यही विरोध आगे चलकर समाज के प्रति विरोध में परिवर्तित हो जाता है ।

उसके उपाय :

(१) स्नेहपूर्ण अनुशासन, जिसमें बालक के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार किया जाता है अर्थात् बालक के कार्यो पर उचित नियन्त्रण रखा जाता है ।

(२) दण्डात्मक अनुशासन, जिसमें माता-पिता बालक को बात-बात पर डांटते घुडकते रहेत है तथा शारीरिक दण्ड देते हैं ।

(३) शिथिल अनुशासन, जिसमें माता-पिता बालक पर नियंत्रण नहीं रखते ।

(४) अनिश्चित अनुशासन, जहां माता अनुशासन का शिथिल रूप तथा पिता कठोर रूप अपनाते है ।

(५) अनिश्चित प्रनुशासन (स्नेहपूर्ण, शिथिल, दण्डात्मक) जहाँ माता-पिता ये तीनों रूप अपनाते हैं ।

(६) अनिश्चित अनुशासन (दण्डात्मक और शिथिल) जहां माता-पिता अनुशासन की ये दनों विधियां अपनाते हैं ।

इस प्करा प्रस्तुत अध्ययन में बाल-अपराधियों के माता-पिता द्वारा अपनाये गये अनुशासन के स्वरूप के सम्बन्ध में जो तथ्य प्राप्त हुये उनके आधार पर कहा जा सकता है कि बाल-अपराधियों के माता-पिता का अनुशासन दोषपूर्ण था जैसा कि बर्ट (१९२६ : ९२-९५) ने अपने अध्ययनों में पाया कि अनापराधियों के परिवारों की अपेक्षा अपराधी बालकों के परिवारों में अनुशासन का दोष पांच गुना पाया । हीली और ब्रोनर (१९२६ : ६४-६९) ने ४००० बाल-अपराधियों के अध्ययन मे पाया कि ४०.०% अपराधी ऐसे घरनों से आये थे जिनमें दोषपूर्ण अनुशासन था । मेरिल (१९४७ : १५८-१६४) ने बाल-अपराधियों के अध्ययन में पाया कि तीन-चौथाई बालक दोषपूर्ण अनुशासन बाले परिवारों से आये । लखनऊ के सुधारात्मक विद्यालय में किये गये अध्ययन में १०७ बाल-अपराधियों

में से ५७ (५३.३%) में परिवार में कठोरता पायी गयी । इन परिवारों में २५ बाल-अपराधियों के पिता कठोर तथा १२ में माता, ८ में माता-पिता दोनों, ४ में भाई, ५ में माता व भाई और ३ में पिता व भाई कठोर थे । किसी भी अपराधी की बहन कठोर नहीं पायी गई । इसी प्रकार बाल-कारावास, बरेली में अध्ययन किये गये २७९ बाल-अपराधियों में से १२९ (४६.५%) अपराधियों के परिवारों में नियंत्रण में कठोरता पायी गयी (राम सिंह) ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अत्यधिक कठोर, अत्यधिक शिथिल तथा पक्षपातपूर्ण अनुशासन इन तीनों का ही बुरा प्रभाव बालकों पर पड़ता है । जैसा कि –

सारणी

परिवार में अभिभावक स्थित तथा पारिवारिक अनुशासन का सहसंबंधात्मक विश्लेषण

परिवार में अभिभावक स्थिति	**पारिवारिक अनुशासन**			
	कठोर	**पक्षपातपूर्ण**	**शिथिल**	**योग**
१	**२**	**३**	**४**	**५**
माता-पिता दोनों जीवित है	५४ (५६.३)	२० (२०.८)	२२ (२२.९)	९६ (१००.०)
सौतेले माता-पिता	५४ (९१.५)	३ (५.८)	२ (३.४)	५९ (१००.०)
सिर्फ माता या पिता	२ (१५.३)	३ (२३.७)	८ (६१.५)	१३ (१००.०)
माता-पित दोनों मर चुके *(अन्य अभिभावक)*	४ (१२.५)	८ (२५.०)	२० (६२.५)	३२ (१००.०)
योग	११४ (५७.०)	३४ (१७.०)	५२ (२६.०)	२०० (१००.०)

(१) नाय (१९५९ : ४३-४९) महोदय ने कहा कि अत्यधिक कठोर नियन्त्रण बालकों को अपनी सहवासी तथा मनोरंजन सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने में बाधा उपस्थित करता है, विशेष रूप से अपने ही आयु-समूह में,

(२) नियंत्रण का अभाव अथवा इसका दोषपूर्ण होना बालकों को किसी भी प्रकार से स्वेच्छा से व्यवहार करने की आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान कर देता है,

(३) यदि नियंत्रण न्यायोचित नहीं है अतवा पक्षपात लिये हुए है, तो बच्चों में माता-पिता के प्रति धृणा के भाव उत्पन्न हो जाते है जिसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर नियंत्रण प्रभावहीन हो जाते है ।

प्रस्तुत अध्ययन में परिवार में अभिभावक स्थिति का माता-पिता के अनुशासन के साथ सह-सम्बन्धात्मक विश्लेषण भी किया गया जो सारिणी से स्पष्ट है ।

संदर्भ :

१. भारत में बाल अपराध, मंजु कुमारी, प्रीन्टवेल, जयपुर

२. बाल सुधारणा होम, अहमदावाद गुजरात